निर्णय बइजलास शक्ति सिंह भाटी (**R.A.S.**) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द

प्र0सं0 81/2016 रे.वाद

निर्णय दिनांक :– 28.11.2019

अनवान

1. नारायण पिता गोपी गुर्जर आयु 40 वर्ष निवासी महासिंह जी का खेडा तहसील देवगढ़

———वादी

बनाम

1. श्री दुदा पिता श्री बगतावर जी गुर्जर निवासी महासिंह जी का खेडा तहसील देवगढ़

———प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88–89–188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

उपस्थित वकील :– श्री इन्द्रमल कंसारा वकील वादी

–:: निर्णय ::–

वादी का वाद संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत हुआ कि ग्राम माहासिंहजी का खेडा प.ह. नराणा तह. देवगढ में वादी की खातेदारी कुषि भूमि स्थित है। जिसके वर्तमान ख.न. 33/30 ख.न. 258 रकबा 0.17 ख.न. 259 रकबा 0.08 ख.न.263 रकबा 0.16 ख.न. 269 रकबा 0.08 ख.न. 270/1 रकबा 2.01 ख.न. 292 रकबा 2.00 ख.नं. 293 रकबा 4.11 कुल किता 7 रकबा 11.01 बीघा है। उक्त आराजियात मौरूसी होकर बगतावर जिता देवा गुर्जर नि. महासिंह जी का खेडा के नाम दर्ज रिकार्ड थी। बगतावर के स्वर्गवास के पश्चात् उक्त आराजियात बगतावर के दोनो जाईन्दा पुत्र गोपिया वादी व दूदा प्रतिवादी के नाम विरासत से परिवर्तन करने का ना.क. दिनांक 16.12.71 को हल्का पटवारी द्वारा किया गया लेकिन भूल से सन् 72 मे उपर्युक्त आराजियात अकेले प्रतिवादी दूदा के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हो गई एव ना.क. भी गोपिया वादी के नाम कांट छांट कर अकेले दूदा के नाम खुलवा दिया गया। गोपी बड़ा पुत्र था। जिसका स्वर्गवास हो गया जिस समय वादी की अवस्था माह छः माह की थी। जिसका फायदा उठाकर दूदा ने कपट पूर्वक व धोखेपूर्ण तरीके से विधि विरूद सम्पूर्ण खाता अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा दिया जबकी उपरोक्त आराजियात में प्रतिवादी का 1/2 हिस्सा व वादी का 1/2 हिस्सा है। उसी अनुसार वादी एवं प्रतिवादी माफिक

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

हिससे 1/2 के कब्जा काष्त चला आ रहा है। बगतावर का सबसे बड़ा पुत्र गोपी व छोटा पुत्र दूदा था। बगतावर के स्वर्गवास के कुछ समय बाद गोपी का स्वर्गवास हो गया उस समय वादी मात्र 6 माह का था जिसका नाजायज फायदा उठाकर राजस्व रिकार्ड से गोपी का नाम कटवा दिया व अकेले प्रतिवादी दूदा के नाम आराजियात का अंकन करवा दिया जबकी आराजियात मौरूसी है। बगतावर की पत्नी का भी स्वर्गवास हो गया गोपी की पत्नी वरदी भी नाते चली गई एवं वादी मात्र इकलोता जाईन्दा पुत्र गोपी का हो ग्राम महासिंह जी का खेडा में वादग्रस्त आराजियात पर लम्बे समय से ही निर्विघ्न निरन्तर रूप से माफिक हिस्से 1/2 के कृषी वगैरह करता चला आ रहा है। आज भी मौके पर माफिक हिस्से वादी एवं प्रतिवादी का कब्जा कास्त है । लेकिन आराजियात अकेले प्रतिवादी के नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज है। जिसका अमलदरामद की घोषणा वादी एवं प्रतिवादी दोनो के नाम माफिक हिस्से 1/2 की घोषण करा राजस्व रिकार्ड मे दर्ज कराना आवश्यक हो गया है। राजस्व रिकार्ड में अकेले प्रतिवादी का दर्ज होने से प्रतिवादी सम्पूर्ण आराजियात के व्यय् गिरवी हस्तानांतरण बक्षीस कर सकता है। इसका पूरा भय बना हुआ है। पूर्व मे भी पुस्तेनी भूमि जो मैरे दादाजी के नाम थी उनके स्वर्गवास के पचात दूदा ने दो बार एवं एक बार 0.08 बिस्वा चतरू पिता रूपा एवं दूसरी बार 1.19 बीघा रता पिता लालू को बेचान कर दी जो पुस्तेनी थी जिसे बेचने का अधिकार अकेले को नही था अब ऐलानिया कह रहा है कि आराजियात मुझ प्रतिवादी के नाम है इसलिये मै कही भी खुर्द बुर्द कर दूंगा। इसलिये वादी को पूरा भय हो गया है कि प्रतिवादी वादग्रस्त आराजियात को कभी भी अन्य किसी को बेचान कर सकता है इसलिये प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है। वादी को इस बात की जानकारी हल्का पटवारी से पूछने पर हुई कि वादी का नाम रेकार्ड मे दर्ज है जिस पर यह वाद न्यायालय मे पेश किया गया है। अतः वादी का वाद स्वीकार फरमाया जाकर उक्त आराजियात कुल किता 7 रकबा 11.01 बीघा भूमि की वादी के पक्ष मे व प्रतिवादीगण के विरूद्व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्रदान कराई जावे कि उपरोक्त आराजियात प्रतिवादी किसी अन्य व्यक्ति को बय गिरवी बक्षीस हस्तान्तरण नही करे दौराने वाद प्रतिवादी अगर वादग्रस्त आराजियात को खुर्द बुर्द कर लेता है तो उसे शून्य करने की घोषणा बनाई जावे व इसी आवश्यक की डिक्री प्रदान कराई जावे। वकील वादी ने साक्ष्य मे स्वंय वादी नारायणलाल का शपथपत्र पेश किया। वकीलवादी ने प्रकरण मे बहस की। विद्वान वकील वादी ने बहस मे तर्क दिया कि श्री बगतावर के दो दो जादोन्दा पुत्र गोपिया व दूदा थे। बगतावर के स्वर्गवास के पश्चात उक्त आराजियात बगतावर के दोनो पुत्रो के नाम विरासत से ना.क. दर्ज हुआ लेकिन भूलवश सन् 72 मे उक्त आराजियात का अंकन अकेले प्रतिवादी दूदा के नाम रेकार्ड में अंकन हो गया। गोपी बडा पुत्र था जिसका स्वर्गवास हो गया जिस समय वादी की उम्र

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

मात्र 6 माह थी जिसका फ़ायदा उठाकर दूदा ने कपटपूर्ण तरीके से विवि विरूद्व सम्पूर्ण भूमि अपने नाम करवा ली जबकी उक्त आराजियात मे वादी एवं प्रतिवादी का 1/2 हिस्सा है मौके पर कब्जा भी उसी अनुसार चला आ रहा है।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम माहासिहजी का खेडा प.ह. नराणा तह.देवगढ में स्थित भूमि खा.नं. 33/30 ख.नं. 258 रकबा 0.17 ख.नं. 259 रकबा 0.08 ख.नं. 268 रकबा 0.16 ख.नं. 269 रकबा 0.08 ख.नं. 270/1 रकबा 2.01 ख.नं. 292 रकबा 2.00 ख.नं. 293 रकबा 4.11 बीघा कुल किता 7 रकबा 11.01 बीघा भूमि में प्रतिवादी के नाम के साथ–साथ वादी का नाम भी 1/2 हिस्से के कास्तकार के रूप मे अंकन करने के आदेश दिये जाते है साथ ही प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि प्रतिवादी वादी के हिस्से की भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को बय बक्षीश गिरवी अथवा हस्तान्तरण नही करे खुर्द बुर्द नही करे। पालना हेतु तहसीलदार देवगढ को लिखा जावे। तद्नुषार डिक्री जारी की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
देवगढ़ जिला–राजसमन्द

राजस्थान–सरकार

डिग्री व मुकद्दमे इब्तदाई

अज अदालत सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़ जिला–राजसमन्द
निर्णय श्री शक्ति सिंह भाटी (R.A.S.) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़
प्र0सं0 81/2016 रे.वाद **निर्णय दिनांक :– 28.11.2019**

अनवान

1. नारायण पिता गोपी गुर्जर आयु 40 वर्ष निवासी महासिंह जी का खेडा तहसील देवगढ

———वादी

बनाम

1. श्री दुदा पिता श्री बगतावर जी गुर्जर निवासी महासिंह जी का खेडा तहसील देवगढ़

———प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88–89–188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

यह मुकद्दमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रूबरू.....
.....मिनजानिब मुद्दायलह पेश हो वादी का वाद पत्र इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि तथा ग्राम ग्राम माहासिहजी का खेडा प.ह. नराणा तह.देवगढ में स्थित भूमि खा.नं. 33/30 ख. नं. 258 रकबा 0.17 ख.नं. 259 रकबा 0.08 ख.नं.268 रकबा 0.16 ख.नं. 269 रकबा 0.08 ख.नं. 270/1 रकबा 2. 01 ख.नं. 292 रकबा 2.00 ख.नं. 293 रकबा 4.11 बीघा कुल किता 7 रकबा 11.01 बीघा भूमि में प्रतिवादी के नाम के साथ–साथ वादी का नाम भी 1/2 हिस्से के कास्तकार के रूप मे अंकन करने के आदेश दिये जाते है साथ ही प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि प्रतिवादी वादी के हिस्से की भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को बय बक्षीश गिरवी अथवा हस्तान्तरण नही करे खुर्द बुर्द नही करे। नीज.....
.....मुबलिग.....बाबत्.....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शहर.....फीसदी सालाना आज की तारि ख से तारीख वसूलयाबी तक.....का अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारिख 28 मास् 11 सन् 2019 की जारी की गई।

सहायक कलेक्टर
देवगढ़ जिला राजसमन्द

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
देवगढ़ जिला–राजसमन्द

मुद्दई	रूपया	पै0	मुद्दायला	रूपया	पै0
स्टाम्प अरजी दावा	5	00	स्टाम्प वकालातनामा	0	00
स्टाम्प वकालातनामा	1	00	स्टाम्प अरजी	0	00
स्टाम्प वजह सबूत	0	00	महनताना वकील	0	00
महनताना वकील)पर	0	00	)पर	0	00
खर्चा गवाहान	0	00	खर्चा गवाहान	0	00
फीस कमीश्नर	0	00	फीस कमीश्नर	0	00
बाबत ईजराय हुक्मनामा	0	00	बाबत ईजराय हुक्मनामा	0	00
मुतफर्रिक	2	00	मुतफर्रिक	0	
मिजान	7	00	मिजान	00	00

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिऐं।

सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर / उपखण्ड अधिकारी
देवगढ़, जिला–राजसमन्द